न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 03 / 2022

1 रामसिंह आयु 67 साल पुत्र स्व. कानसिंह जाति धाबाई गुर्जर
2 गोविन्द सिंह आयु 63 साल पुत्र स्व. कानसिंह जाति धाबाई गुर्जर
3 रतनसिंह आयु 61 साल पुत्र स्व. कानसिंह जाति धाबाई गुर्जर
4 सविता आयु 32 साल पत्नी स्व. बालुसिंह जाति धाबाई गुर्जर
5 मोहित आयु 14 साल पुत्र स्व. बालुसिंह जाति धाबाई गुर्जर
6 दिवांशु आयु 10 साल पुत्र स्व. बालुसिंह जाति धाबाई गुर्जर
7 प्रीति आयु 8 साल पुत्री स्व. बालुसिंह जाति धाबाई गुर्जर
8 सोनी आयु 91 साल पत्नी स्व. कानसिंह जाति धाबाई गुर्जर
समस्त निवासीगण ग्राम नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 प्रताप सिंह आयु 74 साल पुत्र बहादुर सिंह उर्फ भादर सिंह जाति गुर्जर धाबाई निवासी ग्राम नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झूनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी प्रतापसिंह बनाम राजस्थान सरकार मु.नं. 01 / 2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2006 व 07.04.2006

उपस्थिति :

1. श्री फैयाज अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 20/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2006, 07.04.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी प्रताप सिह की ओर से प्रतिवादी राजस्थान सरकार के विरूद्ध गत खसरा नम्बर 306 हाल खसरा नम्बर 539, 540, 541 वाके ग्राम नूआं के संदर्भ में दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दूरूस्ती प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 24.03.2006 से वाद वादी डिक्री किया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 5, धारा 96 के साथ दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि जैर अपील अपीलान्टस के कब्जे काश्त एवं अधिकार में है जो पैतृक है। अपीलान्टस के स्व. पिता कानसिंह उर्फ कन्हैयालाल जाति गुर्जर धाबाई निवासी नूंआ के कब्जे काश्त में पारिवारिक बंटवारे अनुसार आई थी जिस पर अपीलान्टस अपने पिता के समय के साथ में तथा मृत्यु के बाद शामलाती चार भाईयों के दोनों फसल रबी व खरीफ की काश्त करते आ रहते है। इस वक्त भी अपीलान्टस ही कब्जे व काश्त में है। अपीलान्टस संख्या 1, 2, 3 व मृतक भाई बालुसिंह के पिता कानसिंह के दोबड़े भाई नन्दसिंह व भादर सिंह हुए। इन तीनों के पिता का नाम श्योनाथ सिंह था। श्योनाथ सिंह पुत्र भींवजी हुए। श्योनाथ सिंह पांच भाई थे जिनमें सबसे बड़ा भूरसिंह था। श्योनाथ सिंह सबसे छोटे थे। माधसिंह, रावतसिंह, छोटू सिंह अन्य भाई थे जो लाऔलाद फौत हुए। पारिवारिक बंटवारा आपसी सहमति से मौखिक हुआ तो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में होते रहे है। भूरसिंह के पिता का नाम दान पत्र में बद सिंह दर्ज है। बद सिंह ग्राम नूंआ में गुर्जर समाज में अन्य व्यक्ति हुए है जिनका लड़का भूरसिंह है तो वह अन्य व्यक्ति निश्चित रूप से है क्योंकि उक्त बदसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भींवजी का नजदीकी कोई रिश्ता नही रहा है। दानपत्र भूरसिंह पुत्र बदसिंह धाबाई द्वारा करना उसकी इस तरह गवाहान मखनलाल व अनोप सिंह द्वारा पहचान करना पंजीबद्ध कराना अपने आप ही सिद्ध करता है कि वादग्रस्त भूमि का खातेदार भूरसिंह पुत्र भींवजी अन्य व्यक्ति है जो अपीलान्टस के पिता कानसिंह, उनके सगे बड़े भाई नन्दसिंह व भादर सिंह के पिता श्योनाथ सिंह के सबसे बड़े भाई थे जो कर्ता खानदान थे जिनके दशरथसिंह नामक पुत्र हुआ जिनके नाम जेरे अपील भूमि का खाता विभाजन दर्ज हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेवा नोजा के नाम दर्ज हुआ। नौजा के मरने के बाद जब रेस्पोडेन्ट/वादी ने चालाकी से अपने नाम नामान्तकरण संख्या 296 दिनांक 17.02.1990 को दर्ज करवाया तो उक्त अनुसार तहसीलदार झुन्झुनूं को सही तथ्य का पता चलते ही खारिज कर दिया जिसका नोट उक्त नामान्तकरण संख्या 296 की पुश्त पर दर्ज है जो अपीलान्टस ने अपील के साथ प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट/वादी ने अपने दावे में नामान्तकरण संख्या 63 दिनांक 13.04.1961 ग्राम पंचायत नूंआ द्वारा स्वीकार करना दर्ज किया है किन्तु उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट/वादी ने दावे के साथ या अन्य किसी स्टेज पर साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है जो जानबूझकर ऐसा किया है जबकि सिद्धी में उसके अनुसार खतेदारी दर्ज करना चाहा गया है तो दस्तावेज पेश क्यों नहीं किया फिर भी विचारण न्यायालय ने इसे ध्यान में ही नहीं लिया और निर्णय वादी के पक्ष में कर बड़ी कानूनी भूल की है। वादग्रस्त भूमि में सरसों एवं गेंहू की इस वक्त अपीलान्टस की फसल मौके पर मौजुद है। सिंचाई के लिए अपीलान्टस के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर गत 307 में अपीलान्टस के पुख्ता मकानात व कुआ विद्युत कनेक्शन घरेलु व कृषि कनेक्शन लिए हुए है जबकि गत खसरा नम्बर 307 भी दान पत्र में दर्ज है आज की तारीख में रेस्पोडेन्ट/वादी के पिता भादरसिंह के नाम दर्ज है जिसके संबंध में रेवेन्यू बोर्ड में उक्त भादर सिंह जरिये मुख्तयार आम रेस्पोडेन्ट/वादी के जरिये की गई अपील जैरकार है। गत खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

307 से गत खसरा नम्बर 306 में सिंचाई के लिए टी लगाकर सिंचाई अपीलान्टस करते है। जैर अपील निर्णय व डिक्री जारी होने से अपीलान्टस के हक हकूक की सख्त हक तल्फी हुई है। रेस्पोडेन्ट/वादी का जैर अपील कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही उसने अपने वाद पत्र में कब्जा मांगा है तथा नाही अपीलान्टस को बेदखली कराना चाहा है। दरअसल उसने अपीलान्टस को उक्त वाद में पक्षकार ही इसलिए नहीं बनाया कि बाला–बाला अपनी होशियारी से वाद अपने पक्ष में डिक्री करवाकर निर्णय व डिक्री के आधार पर पुलिस से मिलकर चूंकि खुद होमगार्ड में है तो आसानी से कब्जा छुड़वा लेगे लेकिन रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा ऐसी सभी कोशिश की गई जो नाकाम रही है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट/वादी ने वाद निर्णय अपने पक्ष में कराने के लिए झूठे तथ्य दर्ज करते हुए सही तथ्यों को जानते बुझते न्यायालय से भी छुपाया है तथा तथ्यों का **Mispresentation** कर **Fraud** निर्णय व डिक्री जैर अपील हासिल की है जो काबिले खारिज है। अपीलान्टस ने उक्त अनुसार बिन्दु संख्या 16 में दर्ज स्थिति में धारा 96 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्टस को उक्त अनुसार दर्ज निर्णय की जानकारी रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा कब्जा करने से रोकने की कोशिश करने तथा पुलिस में परिवार देने पर हुई तो विधिक सलाह लेने पर अपीलान्टस को दावा प्रस्तुत करने की सलाह मिलने पर उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया है जो जैरकार है उक्त वाद में प्रतिवादीगण के रूप में रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नम्बर 3 जबकि उसके पिता भादर सिंह प्रतिवादी नम्बर 1 तथा उनके भाई केसरी सिंह व ईशर सिंह प्रतिवादी नम्बर 2 व 4 है जबकि नन्दसिंह के पुत्रगण करण सिंह व गिरधारी सिंह तथा लैण्ड होल्डर सभी पक्षकारान है किन्तु दावे में रेस्पोडेन्ट अभी कार्यवाही डिले करने में लगा हुआ है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज होने से जमीन को बाला–बाला बेचने की कोशिशों में लगा है लेकिन ग्राहक मौके अपीलान्टस का कब्जा काश्त देखकर पीछे हट जाते है। अब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

इस स्थिति में विधि जानकारी चाहने पर अपील की सलाह मिलने पर अपील हाजा प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट/वादी की चालाकी एवं फ्राड तथा सही व महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते बुझते छुपाते हुए गलत प्रकार से तथ्य व कथन दर्ज कर **Mispresentation** पर निर्णय व डिक्री हासिल करना अवैध व अवैधानिक है। वाद कार्यवाही व निर्णय प्रारम्भ से शुन्य है। निर्णय व डिक्री इस कारण **Null & Void** है। **Ab Initio void** है जिसे कभी भी चुनौती न्यायहित में दी जा सकती है। रेस्पोडेन्ट/वादी को दिनांक 17.12.2005 व 20.12.2005 को वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही नही उठता क्योंकि प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं वादग्रस्त भूमि कैसे पक्षकार बनाया गया इसका विधि अनुसार पक्षकार बनाना आवश्यक है यह दर्ज नहीं है बंटवारे का दावा भी नहीं है। इस प्रकार से लैण्ड होल्डर के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न होना विधि अनुसार मान्य होने की स्थिति में जैर अपील निर्णय व डिक्री वाद वादी स्वीकार करने के लिए नहीं बनती है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय दिनांक 24.03.2006 व 07.04.2006 निरस्त फरमाई जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीजे (सिवि.) 2016(2) राज पेज 870 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि मौजुदा अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2006 व दिनांक 07.04.2006 विरूद्ध 15 साल देरी से दिनांक 15.12.2021 को पेश की है। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील उनवानी केशरी सिंह बनाम प्रताप सिंह मु. नम्बर 93/2006 पेश हुई जो दिनांक 27.09.2016 को मैरिट पर इस न्यायालय में खारिज कर दी। अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व 8 एवं अपीलान्ट नम्बर 4 से 7 के पूर्वज बालू सिंह ने इस अपील में आलौच्य व विवादित जमीन के बाबत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के न्यायालय में वाद पत्र उनवानी रामसिंह बनाम भादरसिंह दिनांक 14.11.2008 को पेश किया जिस वाद पत्र की मद संख्या 4 व 5 में विचाराधीन निर्णय व डिक्री का हवाला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है तथा जानकारी में होना स्वीकार किया है तथा उक्त वाद पत्र में विचाराधीन निर्णय व डिक्री को चैलेन्ज कर रखा है। उपरोक्त वर्णन के मुताबिक दिनांक 14.11.2008 से अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी रही है. तथा उक्त 15 साल बाद अपील पेश करने का अपील व प्रार्थना पत्र में देरी माफ करने का पर्याप्त कारण दर्ज नहीं है। वर्तमान अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के समक्ष प्रस्तुत वाद रामसिंह बनाम भादर सिंह बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा भूमि खसरा नम्बर 539, 540, 541 वाके ग्राम नूंआ के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह वाद दिनांक 14.11.2008 को प्रस्तुत किया गया है। इस वाद की मद संख्या 4 में स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि " न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय झुन्झुनूं की अदालत में प्रतिवादी संख्या 2 प्रताप सिंह दावा प्रताप सिंह बनाम राजस्थान सरकार घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती दायर कर भूमि खसरा नम्बर 539, 540, 541 की घोषणा चाही। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2006 को प्रताप सिंह को खातेदार काश्तकार अकेले को घोषित कर दिया। इसी वाद के पैरा संख्या 5 में अकित है कि यह डिक्री दिनांक 24.03.2006 वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। इस वाद में रामसिंह गोविन्द सिंह, रतन सिंह, बालुसिंह, सोनी के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। इन्हीं पक्षकारों की ओर से 14.11.2008 को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होने के उपरांत भी 15.12.2021 तक लगभग 13 साल के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। इस असाधारण विलम्ब का अपीलांट द्वारा युक्तिसंगत एवं संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। विवादित भूमि के संदर्भ में वसीयत, दानपत्र एवं नामान्तकरण को अपीलांट द्वारा आदिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 27.09.2016 से खारिज किया जा चुका है। इस निर्णय को भी अपीलांट ने माननीय मण्डल में चुनौती नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सकता है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट का घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। फलस्वरूप इस अपील के स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजुदा अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2006 व दिनांक 07.04.2006 विरूद्ध 15 साल देरी से दिनांक 15.12.2021 को पेश की है। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील उनवानी केशरी सिंह बनाम प्रताप सिंह मु. नम्बर 93/2006 पेश हुई जो दिनांक 27.09.2016 को मैरिट पर इस न्यायालय में खारिज कर दी। अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व 8 एवं अपीलान्ट नम्बर 4 से 7 के पूर्वज बालू सिंह ने इस अपील में आलौच्य व विवादित जमीन के बाबत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के न्यायालय में वाद पत्र उनवानी रामसिंह बनाम भादरसिंह दिनांक 14.11.2008 को पेश किया जिस वाद पत्र की मद संख्या 4 व 5 में विचाराधीन निर्णय व डिक्री का हवाला है तथा जानकारी में होना स्वीकार किया है तथा उक्त वाद पत्र में विचाराधीन निर्णय व डिक्री को चैलेन्ज कर रखा है। उपरोक्त वर्णन के मुताबिक दिनांक 14.11.2008 से अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी रही है तथा उक्त 15 साल बाद अपील पेश करने का अपील व प्रार्थना पत्र में देरी माफ करने का पर्याप्त कारण दर्ज नहीं है। वर्तमान अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के समक्ष प्रस्तुत वाद रामसिंह बनाम भादर सिंह बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा भूमि खसरा नम्बर 539, 540, 541 वाके ग्राम नूंआ के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह वाद दिनांक 14.11.2008 को प्रस्तुत किया गया है। इस वाद की मद संख्या 4 में स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि " न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय झुन्झुनूं की अदालत में प्रतिवादी संख्या 2 प्रताप सिंह दावा प्रताप सिंह बनाम राजस्थान सरकार घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती दायर कर भूमि खसरा नम्बर 539, 540, 541 की घोषणा चाही। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2006 को प्रताप सिंह को खातेदार काश्तकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अकेले को घोषित कर दिया। इसी वाद के पैरा संख्या 5 में अकित है कि यह डिक्री दिनांक 24.03.2006 वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। इस वाद में रामसिंह गोविन्द सिंह, रतन सिंह, बालुसिंह, सोनी के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। इन्हीं पक्षकारों की ओर से 14.11.2008 को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होने के उपरांत भी 15.12.2021 तक लगभग 13 साल के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। इस असाधारण विलम्ब का अपीलांट द्वारा युक्तिसंगत एवं संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। विवादित भूमि के संदर्भ में वसीयत, दानपत्र एवं नामान्तकरण को अपीलांट द्वारा आदिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 01/2006 बउनवानी प्रताप सिंह बनाम राज. सरकार में पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 24.03.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 93/2006 बउनवानी केशरी सिंह बनाम प्रताप सिंह को निर्णय दिनांक 27.09.2016 से खारिज किया जा चुका है। इस निर्णय को भी अपीलांट ने माननीय मण्डल में चुनौती नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट का घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। फलस्वरूप इस अपील के स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5 मियाद के बिन्दु व गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर